न्यायालय अपर जिला कलक्टर फलोदी, जिला फलोदी

पीठासीन अधिकारी– श्री गोपाल राम बिरड़ा (आर.ए.एस)

राजस्व वाद संख्या 07 / 2023, सीसीएमएस संख्या :– 2023 / 26
समेकित वाद संख्या 08 / 2023, सीसीएमएस संख्या :– 2023 / 27

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
श्री नारायण कुमावत पुत्र श्री दलीचंद कुमावत जाति– कुमावत निवासी कुम्हारो का बास, बाप जिला फलोदी राज0		1. श्रीमान तहसीलदार भू अभिलेख, बाप जिला फलोदी राज0 2. श्रीमती रूपा देवी पत्नि श्री लूणकरण जाति पालीवाल निवासी बाप तहसील बाप जिला फलोदी राज0
श्री नारायण कुमावत पुत्र श्री दलीचंद कुमावत जाति– कुमावत निवासी कुम्हारो का बास, बाप जिला फलोदी राज0		1. श्रीमान तहसीलदार भू अभिलेख, बाप जिला फलोदी राज0 2. सांगीदान पुत्र श्री लूणकरण जाति पालीवाल निवासी बाप तहसील बाप जिला फलोदी राज0

अपील अन्तर्गत धारा 75 आर.एल.आर.एक्ट

उपस्थित:–

अपीलाण्ट की ओर से:– अधिवक्ता सिकन्दर घोसी उपस्थित।
रेस्पोडेण्ट की ओर से:– स.1 की ओर से तहसीलदार उपस्थित।

निर्णय दिनांक:– 15.04.2024

उक्त उनवान दोनो अपीलो में रेस्पोडेण्ट माता व पुत्र होने व राजकीय भूमि का नियमन कर नामांतकरण किया जाने के समान तथ्य होने के कारण एक साथ सुनकर एक साथ निर्णय किया जा रहा है।

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार ह। कि अपीलाण्ट ग्राम बाप (वर्तमान नगरपालिका बाप) तहसील बाप जिला जोधपुर का स्थाई निवासी है। ग्राम बाप की समस्त सरकारी गैर सरकारी भूमि में अपीलाण्ट का हित निहित है । ग्राम बाप पटवार हल्का बाप तहसील बाप में खसरा सं० 639 / 20 रकबा 0.6637 हैक्टयर भूमि गैर मुमकिन मगरा के रूप में दर्ज थी उक्त भूमि सरकारी भूमि थी जिस पर किसी भी व्यक्ति को अतिक्रमण करने का अधिकार प्राप्त नही था। श्रीमान तहसीलदार बाप द्वारा उक्त भूमि खसरा सं0 639 / 20 का खसरा संख्या बदलते हुवे नये खसरा के रूप में 2729 / 639 एवं 2728 / 639 अंकित कर जरिये नामान्तरकरण सं0 1530 एवं 1529 पारित कर दिया। श्रीमान तहसीलदार, बाप द्वारा नामान्तरकरण सं0 1530 एवं 1529 पारित करते समय पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर नामान्तरकरण में स्वीकृति का आधार राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार 2018 कार्यालय तहसीलदार साहब बाप के आदेश क्रमांक नियमन / 2018 / 1458 एवं आदेश क्रमांक नियमन / 2018 / 1468 दिनांक 31.08. 2018 की पालना में नियमन का नामान्तरकरण दर्ज कर जॉच एवं निर्णय कर स्वीकृत किया जाना बताया गया है। वास्तव में उक्त आदेश न तो पारित किया गया और न ही ऐसा कोई आदेश रिकार्ड में उपलब्ध है। इस प्रकार रेस्पोडेण्ट सं० 1 द्वारा बिना किसी आदेश बिना किसी विधिक प्रक्रिया अपनाये हुवे सरकारी भूमि [illegible] दर्ज कर रेस्पोडेण्ट सं0 2 के साथ मिलावट कर विधि विरूद्ध तरिके से [illegible] सं0 1530 दिनांक 28.02.2023 एवं 1529 दिनांक 27.02.2023 को स्वीकृत किया [illegible] यह अपील निम्न आधारो पर माननीय न्यायालय के समक्ष नामान्तरकरण निरस्त करने बाबत प्रस्तुत है:–

Signature Not Verified
Digitally signed by Gopal Ram Birda
Date: 2024.05.24 21:40:59 IST
Reason: SelfAttested

रेस्पोडेण्ट सं० 1 द्वारा नामान्तरकरण सं0 1530 एवं [illegible]9 स्वीकृत करने में भारी कानूनी एवं वाक्यांती भूल की है। रेस्पोडेण्ट सं० 1 द्वारा नामान्तरकरण रेस्पोडेण्ट सं0 2 के पक्ष में पारित करने से पूर्व किसी प्रकार का कोई आदेश पारित नही किया गया था उक्त नामान्तरकरण पारित करने का जो आधार बनाया गया है वह सरासर झुठ एवं मनमाना है। अपीलाण्ट द्वारा रेस्पोडेण्ट सं0 1 के कार्यालय से सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानो के तहत

अतिरिक्त जिला कलक्टर
एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट

नामान्तरकरण सं0 1530 एवं 1529 पारित करने के लिये जो नियमन किया गया था। उक्त नियमन आदेश एवं श्रीमान तहसीलदार बाप के आदेश क्रमांक 1458 एवं 1468 की नकल व सूचना मांगी थी। लेकिन अपीलाण्ट को उक्त आदेश की कोई सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है बार–बार तकाजा करने पर श्रीमान तहसीलदार, बाप द्वारा अपीलाण्ट को सूचित किया गया कि दिनांक 31.08.2018 को जारी आदेश क्रमांक 1458 एवं 1468 की जानकारी पटवारी हल्का बाप से प्राप्त की गयी तो पटवारी हल्का द्वारा बताया गया कि उक्त आदेश राजस्व लोक अदालत कैम्प 2018 के है उक्त रिपोर्ट का राजस्व शाखा में तलाश की गयी उक्त रिपोर्ट राजस्व शाखा में उपलब्ध नही है। इस प्रकार नामान्तरकरण सं0 1530 एवं 1529 पारित करने से पुर्व रेस्पोडेण्ट सं० 1 द्वारा रेस्पोडेण्ट सं0 2 के पक्ष में न तो कोई नियमन किया गया था और न ही ऐसा कोई नियमन आदेश राजस्व शाखा उपलब्ध है। इससे स्पष्ट है कि नामान्तरकरण सं0 1530 एवं 1529 बिना किसी आदेश के विधि विरुद्ध तरिके से पारित किया गया है। अपीलाण्ट ने रेस्पोडेण्ट सं० 1 द्वारा अतिक्रमण की शिकायत के बावजूद तहसीलदार, बाप द्वारा उक्त विवादित भूमि को नियमन करने की पत्रावली की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करवाने बाबत अपीलाण्ट ने श्रीमान उपखण्ड अधिकारी, बाप को पत्र प्रेषित किया जिस पर उपखण्ड अधिकारी, बाप द्वारा पत्र क्रमांक 4967 दिनांक 31.03.2023 के जरिये रेस्पोडेण्ट सं0 1 को पत्र प्रेषित कर अपीलाण्ट की शिकायत में वर्णित तथ्यों की जॉच कर नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश प्रदान किये थे। लेकिन रेस्पोडेण्ट सं० 1 द्वारा इस संबंध में कोई कार्यवाही नही की गयी इससे भी नामान्तरकरण सं0 1530 एवं 1529 संदेहस्पद है। अपीलाण्ट द्वारा रेस्पोडेण्ट सं0 1 के कार्यालय से नियमादेश सं0 1458 एवं 1468 व अन्य समस्त आदेशो की पत्रावली चाही गयी तब रेस्पोडेण्ट सं० 1 द्वारा उक्त आदेश की तलाश हेतु एक टीम का गठन अपने पत्र क्रमांक 446 दिनांक 06.04.2023 के जरिये किया गया उक्त टीम द्वारा भी उक्त आलौच्य आदेश की तलाश नही कर पायी चूंकि उक्त आदेश 2018 में पारित किया जाना बताया गया है जिसको अधिक समय भी नही हुआ है। ऐसा आदेश रेस्पोडेण्ट सं0 1 के कार्यालय में उपलब्ध नही होना यह इंगित करता है कि ऐसा कोई आदेश पारित ही नही किया गया था और न ही रेस्पोडेण्ट सं0 2 को किसी प्रकार की कोई गैर मुमकिन आवास भूमि का नियमन ही किया गया था। इसलिये बिना किसी आदेश के पारित नामान्तरकरण सं0 1530 एवं 1529 विधि की दृष्टि से शुन्य है। पुनः अपीलाण्ट ने रेस्पोडेण्ट सं0 1 के कार्यालय से उक्त नियमादेश सं0 1458 एवं 1468 व उसके संबंधित पत्रावली की नकल चाही गयी जिस पर दिनांक 26.06.2023 को पत्र क्रमांक 534 के जरिये पुनः उक्त रिकार्ड तलाश करने हेतु टीम का गठन किया गया जिसका रिकार्ड मय रिपोर्ट आज दिनांक तक पेश नही की गयी है। अंत में अपीलाण्ट को रेस्पोडेण्ट सं० 1 द्वारा अपने पत्र क्रमांक 533 दिनांक 26.06.2023 के जरिये सुचित किया गया कि उक्त रिकार्ड का राजस्व शाखा में तलाश किया गया परन्तु रिकार्ड उपलब्ध नही हुवा है। रिकोर्ड की अन्य शाखाओ तलाश हेतु टीम का गठन किया गया है। रिकार्ड उपलब्ध होने पर उपलब्ध करवाया जायेगा लेकिन आज दिनांक रेस्पोडेण्ट सं० 1 द्वारा अपीलाण्ट को नियमादेश की कोई नकल अथवा पत्रावली उपलब्ध नही करवायी है समस्त आदेशो एवं पत्रो की फोटो प्रतियॉ साथ सलंग्न प्रस्तुत है। नामान्तरकरण सं0 1530 एवं 1529 पारित करने से पुर्व कोई नियमादेश [illegible] की रेस्पोडेण्ट सं0 2 किसी भूमि का नियमन करवाने का पात्र था मनमाफिक [illegible] हवाला देकर उक्त नामान्तरकरण सं0 1530 एवं 1529 पारित करने में भारी [illegible] की रेस्पोडेण्ट सं० 1 द्वारा अपने आदेश क्रमांक राजस्व/2023/446 दिनांक 06.04.2023 का हवाला देकर दिनांक 26. 06.2023 को रिकार्ड तलाश करने हेतु टीम गठन [illegible] का आदेश पारित किया गया था। अपीलाण्ट द्वारा पूर्व आदेश क्रमांक 446 दिनांक 06.04.2023 की नोटशिट की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र रेस्पोडण्ट सं0 1 के कार्यालय में प्रस्तुत किया था। जिस पर टिप्पणी की गयी कि उक्त आदेश जारी नही हुवा है। तथा प्रार्थी अपीलाण्ट को जानबुझकर उक्त आदेश की भी नकल उपलब्ध नही करवायी गयी । जिससे भी स्पष्ट है कि रेस्पोडेण्ट सं० 1 द्वारा नामान्तरकरण सं0 1530 एवं 1529 पारित करने से पुर्व न तो कोई

Signature Not Verified
Digitally signed by Gopal Ram Birda
Date: 2024.05.24 21:10:59 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
फलोदी

रेस्पोडेण्ट सं0 2 के पक्ष में नियमादेश पारित किया है न ही नियमन हेतु कोई कार्यवाही ही की । रेस्पोडेण्ट सं० 1 ने बिना किसी आदेश पारित किये विधि विरूद्व तरिके से रेस्पोडेण्ट सं0 2 से मिलावट कर सरकारी भूमि रेस्पोडेण्ट सं0 2 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने हेतु उक्त आलौच्य नामान्तरकरण पारित कर रेस्पोडण्ट सं0 2 के नाम उक्त भूमि दर्ज कर दी। रेस्पोडेण्ट सं0 1 ने राजस्थान उप अधिनियम 1954 की धारा 22 के तहत खसरा सं0 639 मौजा बाप किस्म मगरा सिवायचक पर निम्न अतिक्रमियों के खिलाफ कार्यवाही की गयी थी। सांगीदान, गिरधारीलाल पि० लूणकरण पालीवाल निवासी बाप के विरूद्व धारा 22 के तहत मुकदमा सं0 85 / 2018 हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर दिनांक 20.02.2018 को दर्ज किया था जिसका निर्णय दिनांक 07.01.2019 को किया गया जिस निर्णय के तहत रेस्पोडेण्ट सं0 2 को उक्त भूमि पर अतिक्रमी धोषित किया। मोहनराम पुत्र हरचंदराम जाति पालीवाल निवासी बाप के विरूद्व धारा 22 के तहत मुकदमा सं0 84 / 2018 हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर दिनांक 20.12.2018 को दर्ज किया था। जिसका निर्णय दिनांक 07.11.2019 को किया गया जिस निर्णय के तहत मोहनराम को उक्त भूमि पर अतिक्रमी धोषित किया। शान्तिलाल पुत्र श्री मोतीलाल जाति माली निवासी बाप के विरूद्व धारा 22 के तहत मुकदमा सं0 86/2018 हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर दिनांक 20.12.2018 को दर्ज किया था जिसका निर्णय दिनांक 07.11.2019 को किया गया जिस निर्णय के तहत मोहनराम को उक्त भूमि पर अतिकमी धोषित किया गया। पन्नालाल पुत्र खेताराम जाति नाई निवासी बाप के विरूद्व धारा 22 के तहत मुकदमा सं0 14/2021 हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर दिनांक 01.10.2021 को दर्ज किया था जिसका निर्णय दिनांक 18.11. 2021 को किया गया जिस निर्णय किया गया। उक्त भूमि पर अतिकभी घोषित करते हुवे बेदखल किये जाने के आदेश किये थे। रेस्पोडेण्ट सं० 1 द्वारा दिनांक 07.01.2019 को रेस्पोडेण्ट सं0 2 के खिलाफ अतिक्रमण की कार्यवाही कर बेदखली करने के आदेश जारी किये गये है तो फिर दिनांक 31. 08.2018 को जो नियमादेश का हवाला देकर नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया है। कत्तई मानने योग्य नही है यदि दिनांक 31.08.2018 को रेस्पोडेण्ट सं0 2 के पक्ष में उक्त भूमि खसरा सं0 639 (परिवर्तित खसरा सं0 2730/2729 एवं 2728/639) मौजा बाप का नियमन किया जा चुका था तो फिर दिनांक 07.01.2019 को रेस्पोडेण्ट सं0 2 के पुत्र सांगीदान व अन्य के खिलाफ बेदखली की कार्यवाही कैसे की जा सकती है इससे स्पष्ट है कि दिनांक 31.08.2018 को नियमादेश पारित ही नही किया गया था मात्र ऐसा आदेश का हवाला देकर नामान्तरकरण सं0 1530 एवं 1529 पारित किया गया है। रेस्पोडेण्ट सं0 2 किसी भी भूमि का नियमन करवाने का पात्र नही थी क्योंकि वह पूर्व से इसी ग्राम में भूमिधारित किया हुवा है रेस्पोडेण्ट सं0 2 के नाम ग्राम बाप के खसरा सं0 1018/3 रकबा 02.10 बीघा व खसरा सं0 1015 रकवा 2.00 बीघा एवं 3.00 बीघा व खसरा सं0 1018 रकबा 3 बीघा भूमि जरिये संपरिवर्तन आदेश क्रमांक 1871 व 1875 एवं 1891 व 1887 दिनांक 26.09.2019 के जरिये स्थित है। उक्त भूमि ग्राम बाप की आबादी भूमि के लगती है। जिस पर रेस्पोडेण्ट सं0 2 काबिज है विधि अनुसार जिस व्यक्ति के पास आवासीय भूमि पूर्व से धारित हो ऐसे व्यक्ति को आवासीय भूमि का नियमन विधि विरूद्व है। दिनांक 31.08.2018 को जब रेस्पोडेण्ट सं0 2 का अतिक्रमण नियमन कर दिया गया था तो दिनांक 31.03.2022 को [illegible] बाप द्वारा उक्त अतिक्रमण हटाने के लिये रेस्पोडेण्ट सं0 2 के पुत्र सांगीदान व [illegible] खिलाफ धारा 107 सीआर पी सी के तहत कार्यवाही की गयी जिसमें रेस्पोडेण्ट द्वारा किये अतिक्रमण को दिनांक 04.04. 2022 को हटाना प्रस्तावति था। जिसमें बाधा व अशान्ति [illegible] होने की संभावना पर रेस्पोडेण्ट सं0 2 के पुत्र सांगीदान व अन्य को जरिये इस्तगासा पाबन्द करवाया गया इससे भी स्पष्ट है। कि दिनांक 31.03.2022 से पुर्व रेस्पोडेण्ट सं0 2 के नाम उक्त अतिक्रमण नियमादेश जारी ही नही किया गया था। जब नियमादेश दिनांकित 31.08.2018 वजुद में ही नही था। रेस्पोडेण्ट सं० 1 द्वारा रेस्पोडेण्ट सं0 2 को नाजायज फायदा पहुँचाने की गरज से ग्राम बाप के खसरा सं0 639 / 20 रकबा 0.6637 हैक्टयर गैर मुमकिन मगरा सरकारी भूमि मे से रेस्पोडेण्ट सं0 2 के नाम नामान्तरकरण सं0 1530 एवं 1529 भरकर रेस्पोडेण्ट सं0 2 के नाम खसरा सं0

Signature Not Verified
Digitally signed by Gopal Ram Birda
Date: 2024.05.24 21:10:59 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट

2730/2729 एवं 2728/639 रकबा 0.0418 गैर मुमकिन आवास के रूप में राजस्व रिकार्ड में दर्ज की गयी है। जबकि अन्य किसी भी व्यक्ति का कोई नियमन नही किया गया है। उक्त नियम विरूद्व फर्जी तरीके से किये गये आंवटन आदेश के जरिये पारित म्यूटेशन सं0 1530 भी कपट पुर्वक छल पुर्वक होने से खारिज योग्य है। तथा उक्त म्युटेशन के जरिये राजस्व रिकार्ड में प्रविष्ट नाम श्रीमती रूपादेवी एवं म्यूटेशन सं0 1529 भी कपट पुर्वक छल पुर्वक होने से खारिज योग्य है। तथा उक्त म्युटेशन के जरिये राजस्व रिकार्ड में प्रविष्ट नाम सांगीदान के पक्ष में पारित म्यूटेशन प्रभावहीन एवं शुन्य नामान्तरकरण बिना किसी जॉच व लापरवाही से आंवटन का हवाला देकर दर्ज किया गया है।

प्रार्थी की म्यूटेशन अपील दर्ज रजिस्ट्रर की गई। अप्रार्थीगण को जरिये डाक सम्मन भेजे गये। अपीलाण्ट अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि ग्राम बाप पटवार हल्का बाप तहसील बाप में खसरा सं० 639/20 रकबा 0.6637 हैक्टयर भूमि गैर मुमकिन मुगरा के रूप में दर्ज थी। श्रीमान तहसीलदार बाप द्वारा उक्त भूमि खसरा सं0 639/20 का खसरा संख्या बदलते हुवे नये खसरा के रूप में 2729/639 एवं 2728/639 अंकित कर जरिये नामान्तरकरण सं0 1530 एवं 1529 पारित कर दिया एवमं रकबा 0.0418 गैर मुमकिन आवास के रूप में राजस्व रिकार्ड में दर्ज की गयी है। उक्त नियम विरूद्व फर्जी तरीके से किये गये आंवटन आदेश के जरिये पारित म्यूटेशन सं0 1530 एवं म्यूटेशन सं0 1529 भी कपट पुर्वक छल पुर्वक होने से खारिज योग्य है। तथा उक्त म्यूटेशन प्रभावहीन एवं शुन्य नामान्तरकरण बिना किसी जॉच व लापरवाही से आंवटन का हवाला देकर दर्ज किया गया है, जो कि खारिज योग्य है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। म्येटशेन अपील अवलोकन एवं अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। ग्राम बाप में खसरा सं. 639/20 रकबा 0.6637 भूमि जिसके नये खसरा नं. 2728/639 और 2729/639 अंकित करते हुए तहसीलदार द्वारा अभियान के अन्तर्गत नियमन आदेश पारित किये गये है। उक्त भूमि गैर मुमकिन मगरा भूमि थी। उक्त नियमन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत मकान व बाडो के नियमन के रूप में किया गया है। रेस्पोडेण्ट संगीदान व उसकी माता रूपा देवी गॉव में व्यवसाय करते है। तथा उनके पास पहले से ही काफी भूमि है जिस में से कुछ भूमि का आवासीय रूपांतरण कराकर बैचान भी किया है। अतः वह भूमि हीन व्यक्ति नही है। अतः नियमन कराने के हकदार नही है। अतः दोनो के पक्ष में किये गये नियमन आदेश खारिज किये जाते है। इन नियमन के आधार पर किये गये नामांतकरण सं. 1529 दिनांक 27.02.2023 व नामांतकरण सं. 1530 दिनांक 28.02.2023 निरस्त किये जाते है। तहसीलदार बाप को निदेशित किया जाता है उक्त भूमि को पूर्व वत राजकिय भूमि व किस्म गैरमुमकिन मगरा दर्ज करे।

आदेश

अतः प्रार्थी की अपील अंतर्गत धारा 75 आर.एल.आर. एक्ट स्वीकार की जाकर तहसीलदार बाप द्वारा राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार 2018 के आदेश क्रमांक नियमन/2018/1458 एवं आदेश क्रमांक नियमन/2018/1468 दिनांक 31.08.2018 द्वारा पारित म्यूटेशन संख्या 1529 एवं 1530 को खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय दिनांक 15.4.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gopal Ram Birda
Date: 2024.05.24 21:10:59 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
फलोदी